MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
of
MEDICAL SCIENCES & TECHNOLOGY
JAIPUR

एमजीयूएमएसटी / एकेडमिक / 2020 / 3492 मार्च 14, 2020

अधिसूचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना वायरस के संक्रमण में बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को मार्च 30, 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना बाबत् शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर ने भी तुरन्त प्रभाव से निम्न निर्णय लिये हैं जिनकी कठोरता से पालना सुनिश्चित करें :–

1. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर के समस्त संघटक महाविद्यालयों (महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, महात्मा गांधी डेन्टल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज, महात्मा गांधी आक्यूपेशनल थैरेपी कॉलेज, महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तथा महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ हैल्थ इन्फोर्मेटिक्स) मार्च 30, 2020 तक शिक्षण कार्य बन्द रहेगा।
2. विश्वविद्यालय की परीक्षायें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी।
3. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ यथावत ड्यूटी पर उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
4. विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों द्वारा बायोमेट्रिक के स्थान पर उपस्थिति–पंजिका में उपस्थिति दर्ज की जावेगी।
5. सभी प्रकार की सेमीनार, वर्कशॉप्स, कान्फ्रेंस, विशेष व्याख्यान दिनांक मार्च 30, 2020 तक स्थगित रहेंगे।
6. महाविद्यालय / विभागों में किसी भी प्रकार के उत्सव एवं छात्र / छात्रायें एकत्रित नहीं होंगे।
7. विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय (डॉ के.डी. गुप्ता नॉलेज रिसोर्स सेन्टर) में केवल किताबें ही जारी एवं जमा की जावेगी वहां पर बैठकर पढ़ने के लिये पुस्तकालय मार्च 30, 2020 तक बन्द रहेगा।
8. ऐसे छात्र / छात्रायें एवं अन्य जो अभी हाल ही में विदेश की यात्रा करके आये हैं, वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संक्रामक अवधि में अपने घर पर ही रहें।
9. विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी को भी यदि ऐसा लगे कि उसे कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं तो वे तुरन्त महात्मा गांधी अस्पताल में दिखावें।
10. छात्रावासों में रहने वाले छात्र / छात्राओं को हिदायत दी जाती है कि वे एक जगह पर इकट्ठा नहीं होवें तथा मैस में भोजन भी समूह में न करें।

सभी संघटक महाविद्यालय / चिकित्सालय उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी, एंडिया एजुकेशन ट्रस्ट एवं चीफ फाईनेंस एण्ड एकाउन्ट्स ऑफिसर, एमजीयूएमएसटी।
3. चेयरपर्सन के मुख्य सलाहकार एवं निदेशक, एडवांस्ड एकेडमिक अफेयर्स, एमजीयूएमएसटी।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय / विभागाध्यक्ष, एमजीयूएमएसटी।
5. अधीक्षक, महात्मा गांधी अस्पताल।
6. मुख्य आवासाधिकारी, बॉयज / गर्ल्स छात्रावास, एमजीयूएमएसटी।
7. परीक्षा नियंत्रक, एमजीयूएमएसटी।
8. एसोसियेट डॉयरेक्टर, एच.आर. डिपार्टमेन्ट, एमजीयूएमएसटी।
9. लाईब्रेरियन, डॉ के.डी. गुप्ता नॉलेज रिसोर्स सेन्टर, एमजीयूएमएसटी।
10. निदेशक, मार्केटिंग एण्ड पी.आर., एमजीयूएमएसटी।
11. निजी सचिव, चेयरपर्सन / अमेरिटस चेयरपर्सन / प्रेसिडेंट / प्रो–प्रेसिडेंट, एमजीयूएमएसटी।

Campus:
RIICO Institutional Area, Sitapura, Tonk Road, JAIPUR - 302 022 (Raj.) INDIA | Phone : +91-141-2771804 • 2771777 | Fax : +91-141-2771805 • 2771807
Website : www.mgumst.org | E-mail : info@mgumst.org | Sponsoring Body : India Education Trust